न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **172/2014** अपील (राजस्व)

1. श्रीमती झमकु पुत्री नाथु जी पत्नि रता मेघवाल, निवासी खेमली, हाल करगेट, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती भमरी पुत्री नाथु पत्नि मांगीलाल मेघवाल, निवासी खेमली, हाल भल्लो का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्टगण

बनाम

1. श्री बाबुड़ा पिता श्री नाथु मेघवाल, निवासी खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती गीता पुत्री नाथु जी पत्नि तेजराम मेघवाल, निवासी खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. पटवारी, पटवार हल्का खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार मावली, नामान्तरकरण संख्या 92, दिनांक 05.02.1993 ग्राम जूनावास, पटवार हल्का खेमली

उपस्थितः श्री मनोज कोठारी, अधिवक्ता अपीलान्टगण
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः—04.06.18

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम जुनावास पटवार मण्डल खेमली में स्थित हैं। जो पूर्व में हमारे पिता श्री नाथु पिता गणेश जी मेघवाल के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित थी। जो विरासत के विवादीत नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 05.02.93 से रेस्पोडेंट संख्या 1 मात्र पुत्र बाबुड़ा के नाम पर रेकार्ड में दर्ज हैं।

जबकि नाथू जी के विधिक वारीसानो में उनके पूत्र बाबुड़ा के अतिरिक्त तीन पुत्रियॉ अपीलान्ट संख्या 1 व 2 क्रमशः झमकु व भॅमरी व रेस्पोडेंट संख्या 3 गीता हैं। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार नाथू जी की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण उनके सभी वारीसान पुत्र बाबुड़ा एवं तीनो पुत्रियॉ झमकु, भमरी, गीता सभी के नाम समान हिस्से अनुसार खुलना चाहिये था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अकेले रेस्पोडेंट संख्या 1 बाबुड़ा के नाम पर नामान्तरकरण खोल दिया जो गलत हैं। अपीलीय नामान्तरकरण में वर्णित पैतृक कृषि भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 ने आपस में मिलीभगत कर उसके अकेले के नाम पर अंकित करा दी जबकि उक्त वर्णित कृषि भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/4 हक व हिस्सा ही था। सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा दिया गया। जिससे नाजायज लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से उक्त वर्णित कृषि भूमि में से कुछ भूमि को आबादी संपरिवर्तन करा अन्य लोगो को नुमाईशी तौर पर विक्रय कर दिया। विक्रय भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 के बजाय कथित क्रेतागण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित हो चुकी हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा कराया गया भू रूपान्तरण एवं हस्तान्तरण हम अपीलान्टगण के मुकाबले शुन्य एवं निष्प्रभावी हैं। क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम पर जो नामान्तरकरण संख्या 92 स्वीकृत हुआ है वह गलत एवं अवैध हैं। वर्तमान में हमारा उक्त भुमि पर हमारे हिस्से अनुसार ही कब्जा चला आ रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पैतृक भूमि में सभी का समान हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार मावली को दिये जावें एवं अपीलीय नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने का भी आदेश प्रदान किया जावें।

अपनी अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानुन मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया हैं।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजुद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से रेस्पाडेंट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध दिनांक 14.05.18 को प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही की गई।

विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा जुनावास पटवार हल्का खेमली के खातेदार नाथु पिता गणेश मेघवाल की मृत्यु होने से विरासत से खोला गया नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 05.02.93 मात्र उसके पुत्र बाबुड़ा के नाम पर ही खोला गया जबकि उसके विधिक वारीसानो में उसकी तीन पुत्रियॉ भी थी। जो अपीलान्ट संख्या 1 व 2 व रेस्पोडेंट संख्या 2 क्रमशः जमकु भमरी एवं गीता हैं। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार नाथु जी की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण उनके सभी वारीसानो के नाम दर्ज होना चाहिये था परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा पटवारी हल्का से मिलकर अपने अकेले के नाम पर खुलवा दिया गया। जो कानुनन पुत्रियॉ भी नाथु जी की जमीन में बराबर हक एवं अधिकार हिस्सेदार हैं। इसलिये नाथू जी के हिस्से की जमीन अपीलान्ट संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम भी दर्ज किया जावें एवं बाबुड़ा द्वारा अवैध लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से इस भूमि में संपरिवर्तन करवा नुमाईशी तौर पर विक्रय कर दिया गया हैं। जो हम अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 के मुकाबले शुन्य एवं निष्प्रभावी हैं। विरासत से खोला गया गलत अपीलीय नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। साथही यह भी निवेदन किया कि अपीलान्टगण को इस नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 17.09.14 को जब नकले प्राप्त की तब मालुम हुई। चुंकी अपीलान्टगण महिलाए है और ग्रामीण परिवेश की रहने वाली होकर अनपढ हैं। कानूनी जानकारी नहीं हैं। किन्तु कब्जा अपीलान्टगण का उक्त भूमि पर हिस्से अनुसार ही चला आ रहा हैं। अतः अपील अपीलान्टगण स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 05. 02.93 एवं इससे हुए राजस्व रेकार्ड में समस्त प्रकार के परिवर्तनो को खारिज कर निरस्त फरमाया जावें तथा वर्णित कृषि भूमि में अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का समान हिस्सेनुसार नाम दर्ज किय जाने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि प्रश्नगत

अपील में अपीलान्ट संख्या 1 व 2 श्रीमती झमकु, श्रीमती भमरू रेस्पोडंट संख्या 2 गीता स्वर्गीय नाथु पिता गणेश मेघवाल की जायन्दा पुत्रियॉ हैं एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के संशोधन के बाद पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों का भी हक बनता हैं। स्वर्गीय नाथु जी की मृत्यु के पश्चात् हिन्दु उत्तराधिकार के प्रावधानो के तहत पुत्रियों का भी हक बनता है और इस प्रकार उत्तराधिकारी के आधार पर पुत्रियों को भी हक मिलना चाहिये था। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा तत्समय बिना वारीसान की जॉच किये मात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम पर ही नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 05.02.93 स्वीकृत कर दिया गया जो त्रुटीपूर्ण हैं। यद्यपि अपीलान्ट ने नामान्तरकरण की अपील 21 वर्ष पश्चात की हैं। परन्तु मात्र इस आधार पर उसके उत्तराधिकार के तहत मिलने वाले अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं। साथही प्रश्नगत नामान्तरकरण जो स्वीकृत किया गया था जिसमें हितबद्ध पक्षकारो को कभी कोई नोटिस नहीं देकर उनकी अनुपस्थिति में ही नामान्तरकरण पारित कर दिया गया। ऐसे नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी हैं एवं इसके आधार पर किये गय पश्चावर्ति नामान्तरकरण शून्य प्रभावी हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली का ग्राम जुनावास का नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 05.02.93 निरस्त किया जाता हैं एवं तहसीलदार मावली को प्रकरण इस आशय के साथ पुनः प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारो को सुनकर नियमानुसार स्वर्गीय नाथू पिता गणेश के वैध वारीसानो के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार मावली को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर